

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1581

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

वित्तीय रूप से रुग्ण विद्युत संयंत्रों को लाभकारी बनाना

1581. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि 34 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को वित्तीय रूप से रुग्ण संयंत्रों की श्रेणी में रखा गया है जिसके कारण इन विद्युत परियोजनाओं को प्रदान किए गए ऋण गैर निष्पादनकारी आस्तियां बन गई हैं;
- (ख) यदि हां, तो वित्तीय रूप से रुग्ण इन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन संयंत्रों को लाभकारी बनाने के लिए किसी योजना की संकल्पना की है/स्कीम तैयार की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, कोयला आधारित 34 संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। इस प्रकार की संकटग्रस्त परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) से (ङ) : विद्युत क्षेत्र में संकट को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17.05.2017 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) अनुमोदित की। इस स्कीम के अंतर्गत शक्ति नीति के ख(i) प्रावधान के तहत अधिसूचित कीमत पर केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियों को कोयला लिंकेज मंजूर किए गए हैं। शक्ति के ख (ii) के अंतर्गत टैरिफ पर बोली छूट के पश्चात् घरेलू कोयला आधारित पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को लिंकेज मंजूर किए गए हैं।

II. 2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए पायलट परियोजना : देश में विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने खुली क्षमता वाली चालू परियोजनाओं के साथ उत्पादकों से 3 (तीन) वर्षों के लिए मध्यम अवधि के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी आधार पर कुल 2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश एवं मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) अधिसूचित किए थे। इस योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की, जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए मांग को एकत्र करने वाले के रूप में काम करेगा और उस विद्युत को

राज्य यूटिलिटीयों को बेचेगा। उपरोक्त योजना के अंतर्गत देश में खुली क्षमता वाली कोयला आधारित सभी विद्युत परियोजनाएं भाग लेने के लिए पात्र थीं।

कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए सात परियोजनाओं से बोलियां प्राप्त हो गई हैं।

परियोजनाओं द्वारा विद्युत की बिक्री से अर्जित राजस्व का प्रयोग इस प्रकार की परियोजनाओं द्वारा ऋण देने के लिए किया जाएगा।

III. कोयला मूल्य वृद्धि सूचकांक में विसंगतियों के कारण कम वसूली के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रकाशित लागत मूल्य वृद्धि सूचकांक में विसंगतियों को दूर करने के लिए 'वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत प्रापण की बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश' में 01 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत संशोधन किया है और अप्रैल, 2012 से गैर-कुकिंग कोयला (जी7-जी14) में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की एक नई श्रृंखला अंगीकृत की है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की नई अधिसूचना के आधार पर, विद्युत उत्पादक गैर-कुकिंग कोयला (जी7-जी14) के लिए थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार पर परिकल्पित संशोधित टैरिफ के लिए 01 अप्रैल, 2017 से पात्र होंगे। इससे विद्युत उत्पादकों को देयताओं की कम वसूली के मुद्दों को मुख्य रूप से हल किया जाएगा।

IV. मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत 30 मई, 2018 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के उन्नयन के संस्थापन के कारण अतिरिक्त लागत प्रभाव तथा बोलियां करने अथवा पीपीए हस्ताक्षरित होने के पश्चात, जैसी भी स्थिति हो, नए पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रचालनात्मक लागत प्रशुल्क के जरिए पास-थ्रू किए जाने पर विचार किया जाएगा।

V. डिस्कामों को भुगतान की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा एक नया एप 'प्राप्ति' (पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंग इन द ट्रांसपैरेंसी इन पेमेंट ऑफ जेनरेटर्स) शुरू किया गया है। विद्युत उत्पादकों को अपने इनवॉइसिंग और भुगतान आंकड़े फीड करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पोर्टल का पारेषण के साथ-साथ नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाएगा।

VI. अन्य उपाय

- 1) घरेलू कोयले के उपयोग में ढील की नीति अर्थात् इस प्रकार के कोयले से उत्पादित विद्युत के लिए वितरण में आईपीपी के लिए कोयला लिंकेज के अंतरण का प्रयोग करने के लिए बल देने हेतु विभिन्न राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। गुजरात और महाराष्ट्र टोलिंग के जरिए क्रमशः 500 मेगावाट और 400 मेगावाट विद्युत के लिए पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। यह ऐसे आईपीपी से विद्युत की मांग में वृद्धि करने में सहायक होगा जो विद्युत उत्पादन शुरू कर सकते हैं।
- 2) 'सौभाग्य' से देश में विद्युत की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। विद्युत की मांग में अच्छी अर्थात् लगभग 6% की वृद्धि हो रही है।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

34 संकटग्रस्त परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड
2.	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेस लि.
3.	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.
4.	अवंथा पावर (झबुआ)
5.	अवंथा पावर (कोरबा)
6.	कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड
7.	दामोदर वैली कारपोरेशन - रघुनाथपुर
8.	डीबी पावर लिमिटेड
9.	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा. लि.
10.	एस्सार पावर झारखंड लि.
11.	एस्सार पावर महान लि.
12.	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.
13.	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि.
14.	जीएमआर वरौरा एनर्जी लिमिटेड
15.	जीवीके इंडस्ट्रीज लि. (गोइंदवाल साहिब)
16.	इंड भारत (उत्कल) लि.
17.	जेपी पावर वेंचर्स प्रा. लि. (बीना)
18.	जेपी पावर वेंचर्स प्रा. लि. (निगरी)
19.	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड
20.	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
21.	केएसके महानदी पावर कं. लि.
22.	केवीके नीलांचल पावर लिमिटेड
23.	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड
24.	लैंको अनपरा पावर लिमिटेड
25.	लैंको बाबंध पावर लिमिटेड
26.	लैंको विदर्भा थर्मल पावर लिमिटेड
27.	मोनेट पावर कं. लि.
28.	प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी लि. (जेपी)
29.	रत्न इंडिया पावर लिमिटेड (नासिक)
30.	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड
31.	सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड (फेज 1 व 2)
32.	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.
33.	वंदना विद्युत लिमिटेड
34.	वीसा पावर लिमिटेड

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1582

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

बिजली के टैरिफ का निर्धारण करने के लिए अपनाई जाने वाली रीतियां

1582. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली की खपत हेतु टैरिफ निर्धारण करते समय समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को शामिल किया है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिजली के टैरिफ का निर्धारण करते समय अपनाई जाने वाली रीतियां क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार का यह मत है कि बिजली के टैरिफ का निर्धारण करने के लिए एटीएंडसी एक प्रमुख मुद्दा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत की खपत के लिए प्रशुल्क अर्थात् खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 में समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा निबंधन एवं शर्तों के लिए प्रावधान है।

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वितरण कंपनियों की तकनीकी हानियों और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता को दर्शाती हैं। संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों की एटीएंडसी हानियों का अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क में प्रमुख प्रभाव होता है। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत का खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क विभिन्न घटकों जैसे विद्युत आपूर्ति की वास्तविक लागत, प्रशुल्क मानदंड, एटीएंडसी हानि स्तर तथा उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सब्सिडी, यदि कोई हो, पर निर्भर करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1583

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजना को सहायता

1583. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में चेयूर, उडनकुडी और अन्य स्थानों में अवस्थित नई विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि. (टीएनजीडीसीओ) तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) को लंबे समय तक हानि होने और ऋण संचित हो जाने के कारण उपजी समस्याओं को दूर करने के लिए, तमिलनाडु सरकार को उज्ज्वल डीआईएससीओएम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत समुचित निधियां और सहायता उपलब्ध करा रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल अनुदान में से अब तक जारी राशि कितनी है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों में तमिलनाडु सहित देश में शुरू की गई निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू कोयला उपलब्ध कराकर, उपयुक्त कोयला ब्लॉक अभिचिन्हित करके आदि टेनजेडको द्वारा तमिलनाडु में चेयूर, उडनकुडी और अन्य स्थानों पर विकसित किए जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं की सहायता कर रही है। सरकार ने केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियों को अधिसूचित कीमत पर नए कोयला लिंकेजों के लिए 17.05.2017 को शक्ति नीति भी अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने चेयूर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) विकसित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एसपीवी) के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां नामतः आपरेटिंग एसपीवी के रूप में कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड (सीटीएनपीएल) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी के रूप में चेयूर इंफ्रा लिमिटेड (सीआईएल) स्थापित की हैं।

(ख) और (ग) : राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों की देयताएं राज्यों की आकस्मिक देयताएं हैं। भारत सरकार उदय के अंतर्गत राज्यों को निधियां नहीं देती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 22,815 करोड़ रुपए का टेनजेडको का ऋण ले लिया है।

(घ) : विगत तीन वर्षों में तमिलनाडु सहित देश में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ऑर्डर देने/जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) शुरू करने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, इस अवधि में निजी क्षेत्र में कई ताप/जल विद्युत परियोजनाएं चालू की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1584

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी में ब्यास परियोजनाओं और भाखड़ा कॉम्प्लेक्स
के संबंध में पदों की हिस्सेदारी

1584. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी) में ब्यास परियोजना और भाखड़ा कॉम्प्लेक्स के बीच पदों की साझेदारी के बारे में बीबीएमबी द्वारा भारत सरकार के समक्ष भारत ब्यास प्रबन्ध बोर्ड नियम, 1974 के खण्ड 7 के संबंध में उल्लेख किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अपना निर्णय संप्रेषित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी हाँ। ब्यास परियोजना और भाखड़ा कॉम्प्लेक्स में पदों की साझेदारी के बारे में बीबीएमबी नियम, 1974 के नियम 7 के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। तथापि, बीबीएमबी के भागीदार राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं होने के कारण इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1585

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

ग्राम पंचायतों में प्रमोशनल एलईडी लाइटें

1585. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों के उपयोग का संवर्धन करने के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो योजना का उद्देश्य और ब्यौरा क्या है;
- (ग) योजना के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष आ रही कठिनाइयां/चुनौतियां क्या हैं;
- (घ) इन कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् संबंधित सूचकांकों में कोई सुधार हुआ है; और
- (च) यदि हां, तो संबंधित सूचकांकों के राज्य-वार वितरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी, 2015 को, शहरी स्थानीय निकायों में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है।

एसएलएनपी के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के अधार पर, ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों से 23.90 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता विकास निगम के साथ त्रिपक्षीय करार किया है। अब तक, ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 8.25 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दक्ष लाइटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा खपत में कमी और बेहतर लाइटिंग सहित सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाना है।

(ग) और (घ) : एसएलएनपी के कार्यान्वयन में किसी विशिष्ट कठिनाइयों/चुनौतियों का सामना नहीं किया जा रहा है।

(ङ) : आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 8.25 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लगाने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 554 मिलियन यूनिटों की अनुमानित ऊर्जा बचत, 92 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की बचत और प्रति वर्ष 0.38 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है। इस योजना में एलईडी स्ट्रीट लाइटों से 23.90 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के बदलने की परिकल्पना है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1605 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत, 267 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की बचत और प्रतिवर्ष 1.10 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की कमी होगी।

(च) : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम पंचायत के भवनों और संबद्ध कार्यालयों और सरकार/पंचायतों द्वारा वित्तपोषित सभी सामुदायिक लाइटिंग परियोजनाओं में अनिवार्य लाइटिंग अनिवार्य करने के लिए अनुदेश जारी करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है।

विद्युत मंत्रालय ने एसएलएनपी में अपनाए गए मॉडल की प्रतिकृति के द्वारा ग्राम पंचायतों में एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटों के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1586

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश के पुडिमडका में एनटीपीसी विद्युत संयंत्र की स्थिति

1586. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पुडिमडका में 4x1000 मेगावाट विद्युत संयंत्र की संस्थापना का प्रस्ताव किया है;
- (ख) उपर्युक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि एनटीपीसी ने राज्य सरकार द्वारा भूमि आदि उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद इस परियोजना को बंद कर दिया है;
- (घ) उक्त परियोजना में आयातित कोयले का उपयोग तथा घरेलू कोयले का उपयोग करने पर कितना अंतर आएगा; और
- (ङ) उपर्युक्त परियोजना को बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार ने आयातित कोयले के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के पुडिमडका, विशाखापट्टनम जिले में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक करार किया है। मुख्य संयंत्र के लिए भूमि सहित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय से स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। तथापि, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कोयले की ढुलाई के लिए परियोजना हेतु कैप्टिव पत्तन के निर्माण के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। आयातित कोयले से संबद्ध अनिश्चितताओं अर्थात् कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संयंत्र घरेलू कोयले पर आधारित हो।

इस मंत्रालय के दिनांक 31.10.2016 के पत्र के तहत विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी की प्रस्तावित पुडिमडका परियोजना (4x1000 मेगावाट) की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च ग्रेड के घरेलू कोयले का दीर्घकालीन कोयला लिंकेज प्रदान करने/उच्च ग्रेड के कोयले के कैप्टिव कोयला ब्लॉक का आबंटन करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है।

परियोजना को पूरा करना अपेक्षित स्वीकृतियों की उपलब्धता, कोयला लिंकेज और परियोजना के अवार्ड की तिथि पर निर्भर करता है। औसतन, परियोजना को पूरा करने का समय अवार्ड की तारीख से 48 माह है।

(घ) और (ङ) : परियोजना की लागत आयातित कोयले की गुणता/लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए घरेलू कोयले पर निर्भर करेगी तथा ईंधन की लागत कई घटकों जैसे ईंधन प्राप्त करने का स्थान, कैलोरिफिक वेल्यू, ढुलाई लागत, कीमत, विनिमय दर आदि पर निर्भर करती है। इस विद्युत संयंत्र का प्रशुल्क सीईआरसी के प्रचलित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1587

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों की रेट्रोफिटिंग

1587. श्री एन. गोकुलकृष्णन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने आवश्यक उपकरणों के साथ पुराने संयंत्रों की रेट्रोफिटिंग शुरू की है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि यदि रेट्रोफिटिंग व्यवहार्य नहीं होती है तो अत्यंत पुराने कोयला आधारित संयंत्रों को चरणबद्ध ढंग से बंद किया जा सकता है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि एनटीपीसी वर्ष 2022 तक सभी पुराने विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन स्तर को राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य लाने हेतु प्रतिबद्ध है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : जी हाँ। एनटीपीसी ने नए उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपने पुराने विद्युत संयंत्रों में आवश्यक उपकरण की रेट्रोफिटिंग के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कोयला आधारित उन पुराने विद्युत संयंत्रों जहां रेट्रोफिटिंग व्यवहार्य नहीं है, को मामला-दर-मामला आधार पर भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों, प्रौद्योगिक-आर्थिक महत्व इत्यादि जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करते हुए बंद करने का निर्णय लिया जाता है। एनटीपीसी संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार नए पर्यावरणीय मानदण्डों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1588

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

घर-घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति

1588. श्री जोस. के. मणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया है कि अब भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी है, जिसके तहत अंतिम स्थल मणिपुर का लेईसांग गांव था; जिसे पिछले वर्ष 28 अप्रैल को ग्रिड से जोड़ा गया;
- (ख) क्या विभिन्न मीडिया आउटलेट के अनुसार, अनेक केन्द्रीय विभागों की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण में किसी गांव विशेष के कुछ ही घरों को ग्रिड से जोड़ना अपेक्षित होता है; और
- (ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण पर सरकारी एजेंसियों और स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के बीच विरोधाभासी आकलनों के बावजूद, सरकार का दावा है कि वर्ष 2018 के अंत तक भारत में 'घर-घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य' को प्राप्त कर लिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक, देश भर में सभी आबादी वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिए गए थे।

(ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है यदि:

- आधारभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/वास स्थल, जहाँ वे विद्यमान हैं, में उपलब्ध करा दी गई हो,
- सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि में विद्युत उपलब्ध करा दी गई हो तथा
- विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% हो।

तथापि, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी गांव में केवल 10 प्रतिशत आवास ही विद्युतीकृत हैं। वर्तमान में 30.06.2018 को केवल 2.8 करोड़ आवास गैर-विद्युतीकृत सूचित किए गए थे जिसका तात्पर्य यह है कि 87 प्रतिशत आवास विद्युतीकृत हैं।

(ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य" की शुरुआत की है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1589

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजा

1589. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा निजी विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के कारण प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के कारण प्रभावित लोगों को किसी मुआवजे का भुगतान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलए)/ राज्य के विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की मांग के अनुसार अपेक्षित मुआवजे की राशि, उनके द्वारा आगे भुगतान करने के लिए जिला प्रशासन के पास जमा की जाती है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को विद्युत मंत्रालय के अधीन सीपीएसई/स्वायत्त संगठनों द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे की राशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1589 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को विद्युत मंत्रालय के अधीन सीपीएसई/स्वायत्त संगठनों द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य के साथ परियोजना का नाम	वर्ष	अधिग्रहीत भूमि	भुगतान किया गया मुआवजा (करोड़ रुपए में)
एसजेवीएन थर्मल परियोजना				
1	1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर परियोजना, बिहार	2015-16	1060.82 एकड़	360.61
		2016-17	17.87 एकड़	6.52
		2017-18	0.72 एकड़	0.19
टीएचडीसी हाइड्रो/थर्मल परियोजनाएं				
2.	विष्णुगाड पीपलकोटि (एचईपी) (444 मेगावाट), उत्तराखंड	2015-16	31.639 हेक्टे. भूमि 2011-12 तक अधिग्रहीत की गई।	45.39
		2016-17		
		2017-18		
		2018-19		
3	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट), उत्तर प्रदेश	2015-16	1201 एकड़ भूमि 2015-16 से पूर्व अधिग्रहीत की गई।	94.56
		2016-17		155.80
एनएचपीसी हाइड्रो परियोजनाएं				
4	किशनगंगा एचई परियोजना, जम्मू व कश्मीर	2015-16	0.56 हेक्ट.	0.27
		2016-17	1.95 हेक्ट.	2.17
5	सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना, असम और अरुणाचल प्रदेश	2016-17	0.40 हेक्ट. (असम में)	0.45
6	तीस्ता-V विद्युत स्टेशन, सिक्किम	2018-19	3.758 हेक्ट.	6.80
7	पारबती-II विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश	2015-16	बढ़ा हुआ मुआवजा	0.86
		2016-17		5.23
		2017-18		0.56
		2018-19		0.05
8	पारबती-III विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश	2015-16	0.17 हेक्ट. (अवसंरचनाओं सहित)	5.56
9	चमेरा-III विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश	2015-16	0.2307 हेक्ट.	0.84

		2016-17	7.3042 हेक्ट.	27.07
10	दुलहस्ती विद्युत स्टेशन, जम्मू व कश्मीर	2015-16	10.695 हेक्ट.	3.48
11	उरी-II विद्युत स्टेशन, जम्मू व कश्मीर	2017-18	बढ़ा हुआ मुआवजा	0.67
		2018-19		0.044
डीवीसी थर्मल परियोजनाएं				
12	रघुनाथपुर थर्मल विद्युत परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल	2015-16	104.493 एकड़	44.09
		2016-17	2.14 एकड़	0.63
		2017-18	0.54 एकड़	0.14
13.	कोडरमा थर्मल विद्युत परियोजना, झारखंड	2015-16	949.09 एकड़ भूमि 2015-16 से पूर्व अधिग्रहीत की गई थी और मुआवजे का भुगतान निर्णय के बाद किया गया।	14.67
		2016-17		5.67
		2017-18		20.37
		2018-19		4.85 एकड़
अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी)				
14	4000 मेगावाट, चेन्नूर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी), तमिलनाडु	2015-16	719.02 एकड़	95.01
15	ओडिशा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना, ओडिशा	2015-16	2953.36 एकड़	10.85
		2016-17	41.18 एकड़	17.40
		2017-18	14.34 एकड़	18.57
एनटीपीसी परियोजनाएं				
16	कुडगी थर्मल विद्युत परियोजना, कर्नाटक	2015-16	38.60 एकड़	14.00
17	गदरवारा थर्मल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश	2015-16	143.50 एकड़	14.34
		2016-17	7.84 एकड़	0.51
18	खरगोन थर्मल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश	2016-17	554.82 एकड़	123.27
19	लारा थर्मल विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़	2017-18	5.54 एकड़	0.46
		2018-19	7.18 एकड़	0.59
20	दालीपल्ली थर्मल विद्युत परियोजना, ओडिशा	2015-16	65.82 एकड़	4.45
		2016-17	84.90 एकड़	2.49
		2017-18	57.57 एकड़	1.50
21	मौदा थर्मल विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र	2017-18	297.27 एकड़	66.76
22	कोलडैम (हाइड्रो), हिमाचल प्रदेश	2016-17	3.73 एकड़	4.78
		2017-18	0.93 एकड़	0.48
23	भारतीय रेल बिजली कं. लि. (सहायक), बिहार	2015-16	106.98 एकड़	40.24
पीजीसीआईएल पारेषण परियोजनाएं				
24	जबलपुर, मध्य प्रदेश	2015-16	45.54 एकड़	1.24

25	भुज, गुजरात		136.52 एकड़	14.70
26	बनासकंठा, गुजरात		167.29 एकड़	49.11
27	रेवा, मध्य प्रदेश		44.47 एकड़	1.26
28	काला अंब, हिमाचल प्रदेश		11.00 एकड़	2.99
29	पुगालुर एचवीडीसी, तमिलनाडु		144.49 एकड़	18.95
30	थ्रिस्सुर एचवीडीसी, केरल		31.11 एकड़	34.92
31	तिरुनेलवेली जीआईएस, तमिलनाडु		27.89 एकड़	1.32
32	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश		54.73 एकड़	27.24
33	डाल्टनगंज, झारखंड		40.10 एकड़	5.54
34	पवागड़ा, कर्नाटक	2016-17	57.00 एकड़	0.14
35	बीकानेर, राजस्थान		120.58 एकड़	0.91
36	भदला, राजस्थान		130.91 एकड़	2.60
37	न्यू पार्ली, महाराष्ट्र		66.69 एकड़	4.11
38	द्वारका जीआईएस, दिल्ली		9.88 एकड़	94.45 (पट्टा किराया)
39	तुगलकाबाद जीआईएस, दिल्ली		6.19 एकड़	68.03 (पट्टा किराया)
40	वरौरा, महाराष्ट्र		102.38 एकड़	12.22
41	अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल		89.66 एकड़	10.58
42	चिलाकलुरीपेटा, आंध्र प्रदेश		96.55 एकड़	19.72
43	जॉलजिवी, उत्तराखंड		11.0997 एकड़	18.65
44	कोटेश्वर, उत्तराखंड	2017-18	3.43 एकड़	0.55
45	वदाकंचेरी, केरल		0.672 एकड़	0.18
46	मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल		83 एकड़	13.67
47	जीरत, पश्चिम बंगाल		76.5 एकड़	59.60
48	चंदौती, बिहार	2018-19	39.88 एकड़	10.17
49	कुरनूल, आंध्र प्रदेश		21.33 एकड़	1.83

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1590

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में भारत और यूई के बीच सहयोग

1590. श्री लाल सिंह वड़ोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और यूई विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्तमान में यूई के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग करने का विद्युत मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 18 जनवरी, 2014 को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और यूई सरकार के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 11 फरवरी, 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1591

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

1591. श्री अहमद अशफाक करीम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) बिहार सरकार द्वारा विद्युतीकरण के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) बिहार के कितने गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है तथा विद्युतीकरण से वंचित शेष गांवों को कब तक विद्युत आपूर्ति प्रदान किए जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, बिहार को 5856.35 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान 2765 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, भारत सरकार परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों को 85 प्रतिशत) देती है। लक्ष्यों की उपलब्धि पर 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

संस्वीकृत परियोजना के लिए राशि पिछली किश्त (किश्तों) की राशि का उपयोग सूचित करने और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, किश्तों के आधार पर जारी की जाती है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, आरई घटक सहित वर्ष 2015-16 से बिहार में 2906 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है और राज्य ने सूचित किया है कि बिहार के सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

(घ) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" के अंतर्गत देश में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत गरीब ग्रामीण घरों एवं शहरी गरीब घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र के गैर-निर्धन परिवारों से डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा बिजली के बिलों के साथ 10 समान किस्तों में 500/- रु. वसूल किए जाएंगे।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1591 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया जिला-वार अनुदान

क्रम सं.	जिले का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)
1	अररिया	122.25
2	अरवल	12.94
3	औरंगाबाद	92.89
4	बांका	38.36
5	बेगुसराय	67.05
6	भागलपुर	13.23
7	भोजपुर	33.68
8	बक्सर	61.53
9	दरभंगा	85.42
10	गया	94.68
11	गोपालगंज	122.58
12	जमुई	77.71
13	जिहानाबाद	37.95
14	कैमूर	41.07
15	कटिहार	47.22
16	खगरिया	39.88
17	किशनगंज	75.70
18	लखीसराय	45.25
19	मधेपुरा	64.97
20	मधुबनी	78.81
21	मुंगेर	49.80
22	मुजफ्फरपुर	38.39
23	नालंदा	71.07
24	नवादा	49.94
25	पश्चिम चंपारण	103.16
26	पटना	135.97
27	पूर्व चंपारण	111.66
28	पुरनिया	139.87
29	रोहतास	82.95
30	सहरसा	69.59
31	समस्तीपुर	104.20
32	सारन	142.84
33	शेखपुरा	13.66
34	शिवहर	22.70
35	सीतामढ़ी	57.29
36	सीवान	163.98
37	सुपौल	84.64
38	वैशाली	70.44
	कुल	2765.32

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1592

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

देश में अविद्युतीकृत गांव

1592. श्री नीरज शेखर:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कुल 6 लाख गांवों में से वर्ष 2014 में 18000 अविद्युतीकृत गांव के विद्युतीकरण का अप्रैल, 2018 में कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की हाल ही की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी 5000 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने दावा किया है कि सभी गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में सभी शेष आवासित जनगणना गांव निर्धारित समय-सीमा से पहले ही 28.04.2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) : जैसा कि उपरोक्त (क) और (ख) में उत्तर दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	01.05.2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू व कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
10	मणिपुर	366
11	मेघालय	1,051
12	मिजोरम	54
13	नागालैंड	78
14	ओडिशा	3,281
15	राजस्थान	427
16	त्रिपुरा	26
17	उत्तर प्रदेश	1,498
18	उत्तराखंड	91
19	पश्चिम बंगाल	22
कुल		18,374

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1593

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

सौ प्रतिशत विद्युतीकरण

1593. श्री रिपुन बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सच है कि सरकार के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा के बावजूद देश में अब भी अनेक गांवों में बिजली नहीं है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में असम सरकार ने लाख से भी अधिक गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि गांवों को ग्रिड से जोड़ दिया गया है तथापि देश में 16 प्रतिशत परिवारों को बिजली नहीं मिली है;
- (घ) यदि हां, तो वर्ष 2006 से 2012 तक और 2011 से 2017 तक की अवधि के लिए गांवों का औसत कितना विद्युतीकरण हुआ है; और
- (ङ) 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के वास्तविक लक्ष्य को हासिल करने का सरकार का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार असम सहित पूरे देश में सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) : असम सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : सौभाग्य पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 22.20 करोड़ आवास हैं; 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 19.40 करोड़ आवास विद्युतीकृत कर दिए गए हैं और शेष सभी 2.80 करोड़ आवासों को मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान आरई घटक सहित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	विद्युतीकृत गांव (सं.)
2006-07	28706
2007-08	9301
2008-09	12056
2009-10	18374
2010-11	18306
2011-12	7285
2012-13	2587
2013-14	1197
2014-15	1405
2015-16	7108
2016-17	6015

शेष गांव सामान्यतः दूर-दराज/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित थे। सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गांव 28.04.2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

(ङ) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य" की शुरुआत की है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।
